न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल (अध्यक्ष) महोदय ग्वालियर म0 प्र0

===

पुनरीक्षण क्रमांक -: R 2712-I/13

प्रस्तुति दिनांक -: 12/07/2013

पुनरीक्षणकर्ता -: 1. श्रीमति उर्मिलाबाई पति ठाकुरलाल जाति गुर्जर आयु 50 वर्ष निवासी सोडलपुर तहसील रहटगॉव जिला हरदा म0 प्र0

विरूद्ध

======

उत्तरवादी -: 1. दीनानाथ आ0 भगवानदास जाति गुर्जर आयु 48 वर्ष निवासी सोडलपुर तहसील रहटगॉव जिला हरदा म0 प्र0

आवेदन पत्र वास्ते दिए जाने अनुमति पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की ।

===

पुनरीक्षणकर्ता नीचे लिखे अनुसार निवेदन करती है -:

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के नाम से मौजा बहादुरपुरा प0 ह0 न0 003 में कृषि भूमि खसरा नं0 23/1, 23/3, 24/1, 25/2, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1 योग रकबा 4342 हेक्य0 लगान 27.14 रूपये है जो कि आवेदका / पुनरीक्षणकर्ता के नाम से सहखातेदार के नाम से राजस्व भू अभिलेख में दर्ज होकर आधिपत्यधारी है ।

2. यह कि, इसी कृषि भूमि के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता को उत्तरवादी के द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय रहटगॉव के रा0प्र0 क्रमॉक 09 अ12/वर्ष 2010-2011 मौजा बहादुरपुरा में हुए आदेश दिनॉक 09/05/2011 को जो सीमाकंन किया गया है । उसमें पुनरीक्षणकर्ता को न्यायालय श्रीमान के द्वारा सूचना पत्र नही दिया गया और न उसे इस आदेश की जानकारी दी गई । वह तो अपने खेत पर जाने के पश्चात यह जानकारी हुई कि उसके आधिपत्य व स्वत्व की कृषि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2712-एक/2013 जिला हरदा उर्मिलाबाई विरूद्ध दीनानाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील रहटगांव के प्रकरण क्रमांक 09/अ-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 09-05-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी रहटगांव को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी रहटगांव के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 01/02/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	